भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 124

28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन

124. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के विनिर्माण और भारी उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का कोई आकलन किया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्वचालन (ऑटोमेशन), अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल विनिर्माण और 'इंडस्ट्री 4.0' को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, कार्यबल की आवश्यकताओं और कौशल विकास पर तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) घरेलू विनिर्माण क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या दावणगेरे जिले सहित कर्नाटक में उन्नत विनिर्माण क्लस्टरों, औद्योगिक पार्कों या प्रौद्योगिकी-संचालित औद्योगिक पारिस्थितिकी प्रणालियों (इकोसिस्टम) की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

"भारी उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन" के संबंध में डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन द्वारा दिनांक 28.07.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है:

(i) भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो) : सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को मंजूरी प्रदान की। यह स्कीम न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों, जिनमें ईवी भी शामिल हैं, के विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है तथा ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य रखती है। 31.03.2026 तक इस स्कीम के अंतर्गत ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है तथा 67,820 रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय को निवेश संबंधी पात्रता मानदंडों की पूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाहित करने की सुविधा प्राप्त होती है।

(ii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम : सरकार ने 09.06.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट-घंटा उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र की स्थापना करना है, जिसमें से 40 गीगावाट-घंटा एसीसी क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। स्कीम के अंतर्गत 1.4 गीगावाट-घंटा की स्थापित क्षमता वाला एक गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। 31.05.2026 तक इस स्कीम के माध्यम से ₹5,180 करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है तथा 1,277 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।

(iii) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: यह स्कीम 01.04.2024 से 31.03.2028 तक की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। यह ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह स्कीम सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

(iv) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम चरण- II : इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है। स्कीम के एक घटक, अर्थात् "सामान्य इंजीनियरी सुविधा केंद्र " के अंतर्गत, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (**समर्थ**) केंद्रों की स्थापना की गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹35 करोड़ की परियोजना लागत से सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4), पुणे के माध्यम से देशभर में 10 क्लस्टर आधारित उद्योग 4.0 अनुभव केंद्रों की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की है।

डिजिटल विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा संचालित 'उत्कृष्टता केंद्र संवर्धन' नामक परियोजना को ₹44.60 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) द्वारा संचालित 'डेवलपमेंट ऑफ लेजर-बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन' परियोजना को ₹4.943 करोड़ की परियोजना लागत के साथ अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹7,280 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण संवर्धन स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (एमटीपए)) सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के विनिर्माण की क्षमता स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक आरईपीएम बाजार में प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी।

(घ): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में 'मेक इन इंडिया 2.0' के अंतर्गत 27 क्षेत्रों, जिनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं, पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तथा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंतर्गत निवेश के अवसर, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली

(आईपीआरएस) तथा राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का शुभारंभ आदि शामिल हैं।

(ङ): इस मंत्रालय को ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

***